

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ. 4(ई) निप/डी-213/86/अलेसे-11/6479-6480

07
दिनांक :- 28
2014

कार्यालय आदेश - 58/2014-15

श्री दिनेश कुमार ललानिया, लेखाकार (मैरिट संख्या 213/86) की राजकीय सेवा में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण तिथि 01.07.1988 है, श्री ललानिया, कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर दिनांक 27.09.1984 से 30.06.1988 तक कार्यरत थे। राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ.11 (7) एफ.डी./रूल्स/2008-1 दिनांक 31.12.2009 के बिन्दु संख्या 7(111) के अनुसरण में तहसील राजस्व लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार का वेतनमान समान होने के कारण तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर नियुक्ति तिथि 27.09.1984 के अनुसार दिनांक 27.09.2011 को 27 वर्ष की सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण होती है, को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 के अनुसरण में कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) वेतन श्रृंखला पी.बी.-2 (9300-34800) ग्रेड पे 4800/- में दिनांक 27.09.2011 से स्वीकृति की जाती है एवं वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के पत्रांक प.14 (88) वित्त (नियम) 2008 जयपुर दिनांक 05.07.2013 के अनुसरण में दिनांक 01.07.2013 से ग्रेडपे 5400 स्वीकृत किया जाता है।

श्री ललानिया को उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प0 (20) वित्त/ग्रप-2/92 दिनांक 23.04.1994 में दी हुई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7 (1) (डीओपी)/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के क्रम में सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

श्री ललानिया के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है, कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर एसीपी के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

श्री ललानिया का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है तथा एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।

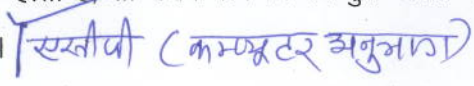

(वीरबाला जोशी)

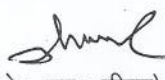
निदेशक

क्रमांक :- एफ. 4(ई) निप/डी-213/86/अलेसे-11/6479-6480

07
दिनांक :- 28
2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोटपुतली, जयपुर।
2. श्री दिनेश कुमार ललानिया, लेखाकार, विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोटपुतली, जयपुर।
3. निजी सहायक निदेशक, महोदय।
4. गोपनीय शाखा को प्रेषित का लेख है कि उक्त लेखाकार के भविष्य में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. निजी/ गार्ड फाईल। 


(के0 एम0 मीणा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-11)